

**मुख्य अभियंता-5 का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।**

पत्रांक- 11/ग्रोब-5 प०पु०-1- 100/24 २५६४८५  
प्रेषण,

/पटना, दिनांक- 23-1-25

ई० जय फिशोर छापुर,

मुख्य अभियंता-5,

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम।

**विषय:** शीर्ष MMGSY(AWSESH)(NDB) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम के अधीन  
MMGSY(AWSESH)-NDB-BRRP2-598-MUZAFFARPUR WEST (Tender ID-136801)  
निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

शीर्ष MMGSY(AWSESH)(NDB) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम के अधीन  
MMGSY(AWSESH)-NDB-BRRP2-598-MUZAFFARPUR WEST (Tender ID-136801) निर्माण  
कार्य के निविदा के वित्तीय बीड़ में सफल न्यूनतम निविदाकार Abhishek Raj (599139) को उनके द्वारा उद्धृत  
दर जो कि परिमाण विपत्र की दर से 28.99 प्रतिशत कम है, अर्थात् कुल राशि 53,78,894.00 (तिरपन लाख  
अठहत्तर हजार आठ सौ चौरानवे) रु० मात्र पर कार्यहित एवं आपकी अनुशंसा के आलोक में यह कार्य आवंटित  
किया जाता है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।  
3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम संवेदक के द्वारा एकरानामा के लिए जमा की गई राशि  
एवं निविदा के साथ अग्रधन के रूप जमा किये गये संबंधित एन०एस०सी०/पासबुक/चैक फिक्स डिपोजिट/चैक  
गरांटी की सत्यता एवं वैधता आदि का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कार्यादेश  
निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना  
सुनिश्चित करेंगे।

4. एकरानामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति  
निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय कि संवेदक डीवार सूची एवं काली  
सूची से मुक्त है।

5. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्रावक्तन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय  
अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।

6. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रेतर कार्रवाई से पूर्व भली भौति आशवस्त हो लेंगे कि पथ का  
हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति  
तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरानामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक  
के साथ एकरानामा किया जायेगा।

8. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये  
जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारेपरान्त एकरानामा की  
कार्रवाई की जायेगी।

9. एकरानामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह  
सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।

10. कार्यालय के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्रावक्तन में किये  
गये उपवंश से पूरी तरह आशवस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में  
दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

11. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकारारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत  
मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरानामा किया जाय।

12. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप  
निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जाय।

13. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।

10/10/2025

Executive Engineer  
R.W.D. Works Division  
Muzaffarpur, West

Scanned with OKEN Scanner

Affishek Raj

7/07/2025

10/10/2025

14. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित पिये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरानामा करना सुनिश्चित करेंगे अस्थाया उनके अध्याधिकारी पीराशि जात्वा कर ली जाय।
15. इस कार्य का व्यापक विभाग द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्थीकृति में अंकित शीर्ष अन्तर्गत होगा।
16. एकरानामा के समय प्राप्तकलन के अनुसार इस कार्य को पूरा करने हेतु संवेदक से मदवार कार्य योजना एकरानामा के समय प्राप्त किया जाय तथा उस कार्य योजना की प्रति संवेदित करनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को भी उपलब्ध कराया जाय, ताकि कर्त्तव्य अभियंता एवं सहायक अभियंता निर्धारित समय के साथ मदवार प्रगति का आफलन कर कार्यपालक अभियंता एवं संवेदित संवेदक को सूचित प्रत्येक 15 दिनों पर करेंगे। अगर संवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उक्त मद के मात्रा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तो कार्यपालक अभियंता दंडात्मक कार्रवाई संवेदक के विरुद्ध करेंगे। कार्यपालक अभियंता अगर उक्त निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो वे स्वयं कार्रवाई के पात्र होंगे।
17. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरान्त आप आवश्यक निर्देशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
18. एकरानामा से पहले निविदाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय।
19. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना सुरक्षा इस कार्यालय को दी जाय।
20. कार्यपालक अभियंता, एकरानामा करने के पूर्व संवेदक का नियंत्रण सख्त पूर्ण पता एवं दूरमाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
21. परिमाण विषय की दर से कम दर उद्धत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉरमेंस सिक्युरिटी की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
22. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
23. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विषय प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर मुगलान सुनिश्चित करेंगे।
24. संवेदक से बीड़ वैधता का प्रमाण लेने के पश्चात ही एकरानामा करना सुनिश्चित करें।
25. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर परिचय को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय पत्रांक-मु०३०-४-४(मु०) विविध-२३-२९१/२०१४-१३१/२०१९ पटना दिनांक-१३.१२.२०१९ के आलोक में पत्र प्राप्ति विभागीय पत्रांक-मु०३०-४-४(मु०) विविध-२३-२९१/२०१४-१३१/२०१९ पटना दिनांक-२८.०१.२०२१ को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
26. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-४८९ अनु० दिनांक-२८.०१.२०२१ को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।
- अनु०—यथा उपर्युक्त।

विभाग समाजन  
१०/१००५/२०२५  
मुख्य अभियंता-५, पटना  
/पटना, दिनांक-२३-१-२५

**ज्ञापांक- २५६**

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना सूचनार्थ समर्पित।

१०/१००५/२०२५  
मुख्य अभियंता-५, पटना  
/पटना, दिनांक- २३-१-२५

**ज्ञापांक- २५६**

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१०/१००५/२०२५  
मुख्य अभियंता-५, पटना  
/पटना, दिनांक- २३-१-२५

**ज्ञापांक- २५६**

प्रतिलिपि : सहायक आई०टी० मैनेजर, मुख्य अभियंता-५ का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार पटना को सूचनार्थ एवं ई-मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

१०/१००५/२०२५  
मुख्य अभियंता-५, पटना

Akhilesh Ray

१०/१००५/२०२५

Executive Engineer  
R.W.D. Works Division  
Muzaffarpur, West  
10/05/25  
Scanned with OKEN Scanner